फैक्स/महत्वपूर्ण

फैक्स : 0522-2287241
2287242

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश।

पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
HEAD QUARTERS DIRECTOR GERERAL OF POLICE [RAILWAY] U.P.
5th Floor,Indira Bhawan,Ashok Marg,Lucknow-226001

दिनांक:अक्टूबर 25 ,2013

पत्र सं0-पीआर-30-212/2011 (1022)

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

विषय: स्कोर्ट डियूटी में 5.56 एमएम इन्सास रायफल प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

....

आप अवगत है कि अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2011 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 9543(एमबी)2011 (पीआईएल) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान में लेते हुए अधिकृत यात्रियों के लिए अवरोध रहित एवं अपराध मुक्त यात्रा हेतु निर्गत किए गये विभिन्न निर्देशों के साथ-साथ यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ट्रेन स्कोर्ट कर रहे पुलिस कर्मियों को बड़े शस्त्रों के स्थान पर छोटे एवं हल्के शस्त्र दिये जाए। उक्त याचिका में दिनांक 19 नवम्बर 2013 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्गत निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराने के आदेश दिये गए है।

2- संज्ञान में आया है कि राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के विभिन्न अनुभागों में 5.56 एमएम इन्सास रायफल पर्याप्त मात्रा में (2036) उपलब्ध है। यह भी संज्ञान में आया है कि सामान्यत: ट्रेनों की स्कोर्ट डियूटी में लगे पुलिस कर्मियों को अभी भी बड़ी रायफलें जैसे .303 बोर रायफल एवं 7.62 एस0एल0आर0 रायफल आदि दी जाती है। इन रायफलों के बड़ी होने तथा ट्रेन के अन्दर पर्याप्त स्थान न होने के कारण इनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षा के अनुरूप नही हो पाने के दृष्टिगत इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2013 द्वारा विभिन्न उपलब्ध 837 बड़ी रायफलों को समर्पित किए जाने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से अनुरोध किया गया है, जिनको आदेश मिलने पर समर्पित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3- इस संबंध में विभिन्न अनुभागों में 5.56 एमएम इन्सास रायफलों की उपलब्धता के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि स्कोर्ट डियूटी में चलने वाले समस्त पुलिस कर्मियों को इन्सास रायफल ही दिया जाये। इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:-

(I) आप 10 दिवस के अन्दर सभी पुलिस कर्मियों को आरमोरर की सहायता से 5.56 एमएम इन्सास रायफल की हैण्डलिंग एवं उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में जिला पुलिस या नजदीकी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों से भी सहयोग लिया जाय। यह कार्यवाही दिनांक 8 नवम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।

(II) 5.56 एमएम इन्सास रायफल हैण्डलिंग प्रशिक्षण के उपरान्त यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि 12 नवम्बर 2013 से ट्रेन स्कोर्ट डियूटी में जाने वाले पुलिस कर्मियों को इन्सास रायफल के साथ भेजा जाय तथा इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 13 नवम्बर 2013 तक इस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाये।

(III) यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित प्रशिक्षण के पुलिस कर्मियों को INSAS रायफल निर्गत नहीं की जाए एवं निर्धारित अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।

4- चूँकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ से सम्बन्धित है। अत: इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

25/10/13

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
उ0प्र0 लखनऊ।

25-10-13

प्रतिलिपि//निम्नलिखत को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, इलाहाबाद।

2- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद।

3- स्टाफ आफिसर, पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।